समावेशी वृद्धि : वित्तीय क्षेत्र की भूमिका*

के. सी. चक्रवर्ती

प्रो अशोक कोलास्कर, कुलपति, केआइआइटी विश्वविद्यालय, डॉ. अच्युत सामंत, संस्थापक, केआइआइटी विश्वविद्यालय एवं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआइआइएस), डॉ. करमरकर, एमडी, नाबार्ड, विशिष्ट अतिथियो, देवियो और सज्जनो। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, केआइआइटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन 2010 में यहां उपस्थित होना एक खुशी और सम्मान की बात है। डॉ. सामंत के नेतृत्व में केआइआइटी विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक समावेश लाने के बारे में समाज के लिए एक जीवंत उदाहरण है। मैं इस अवसर पर शिक्षा के प्रसार में अग्रणी भूमिका अदा करने और इस सम्मेलन के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं। इस सम्मेलन की विषयवस्तु 'समावेशी विकास: वित्तीय क्षेत्र की भूमिका' है, जिसमें एक ऐसे मुद्दे पर फोकस किया गया है, जो न केवल हमारे जैसे देश के लिए अपितु पूरी दुनिया के लिए महत्व रखता है। शब्द 'समावेशी वृद्धि' नामक शब्दावली का बहुत व्यापक और शिथिल रूप से प्रयोग किया जाता है, मैं थोड़े विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहता हूं।

2. 'समावेशी वृद्धि' नामक दो शब्द आर्थिक वृद्धि की गति एवं उसके पैटर्न दोनों को सूचित करते हैं। इस विषय पर उपलब्ध साहित्य में प्रत्यक्ष आय वितरण अथवा साझा वृद्धि एवं समावेशी वृद्धि के बीच स्पष्ट अंतर किया जाता है। समावेशी वृद्धि नामक दृष्टिकोण में दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें वर्जित समूहों की आय बढ़ाने के एक साधन के रूप में आय के प्रत्यक्ष पुनर्वितरण के बजाय उत्पादक रोजगार पर फोकस किया जाता है। अतः समावेशी वृद्धि को अंतर्निहित तौर पर धारणीय माना जाता है क्योंकि यह आय वितरण की उन योजनाओं से भिन्न है जिनमें अल्पावधि में सबसे गरीब और शेष व्यक्तियों के बीच उन असमानताओं को कम किया जा सके जो त्वरित वृद्धि के आशय से बनाई गई

* डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 नवम्बर, 2010 को केआइआइटी विश्वविद्यालय द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन 2010 में दिया गया भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री ए. के. मिश्रा द्वारा प्रदान की गई सहायता साभार स्वीकार की जाती है।

नीतियों के कारण उत्पन्न हुई हों। जहाँ आय वितरण संबंधी योजनाओं से अल्पावधि में लोगों को आर्थिक वृद्धि का लाभ मिल सकता है, वहीं समावेशी वृद्धि में लोगों को 'आर्थिक वृद्धि में अंशदान देने और उससे लाभ उठाने' का मौका मिलता है।

3. आर्थिक विकास की एक रणनीति के रूप में 'समावेशी वृद्धि' पर इसलिए ध्यान दिया गया क्योंकि इस बात की चिंता बढ़ रही थी कि आर्थिक वृद्धि के लाभ का समान वितरण नहीं हुआ है। वृद्धि को उस समय समावेशी माना जाता है जब इससे आर्थिक अवसरों का निर्माण होता है और साथ ही उन तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जाता है। असमानता के मुद्दे का समाधान करने के अलावा, समावेशी वृद्धि से गरीबी निवारण के प्रयासों को, समाज के गरीब एवं असुरक्षित वर्गों के लिए उत्पादक आर्थिक अवसरों का स्पष्ट सृजन कर, अधिक कारगर बनाया जा सकता है। अब तक वर्जित आबादी को अपने दायरे में लेकर समावेशी वृद्धि से अर्थव्यवस्था को कई अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। 'समावेशन' की संकल्पना को वर्जित व्याक्तियों को अभिकर्ता के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनकी सहभगिता विकास प्रक्रिया की अभिकल्पना के रूप में, न कि विकास कार्यक्रमों के कल्याण संबंधी लक्ष्य मात्र के रूप में, आवश्यक है (योजना आयोग, 2007)।

4. हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2003-04 से 2007-08 के बीच उच्च गति से वृद्धि दर्ज की थी, पर यह बेरोजगारी और गरीबी को सहनीय स्तर तक नीचे नहीं ला सका। साथ ही, उच्च वृद्धि के इस दौर में आबादी का बड़ा भाग मूल स्वास्थ और शिक्षा सुविधाओं की परिधि के बाहर बना रहा। हाल के दशकों में, उच्च वृद्धि दरों के साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बढ़ गई हैं जिनकी वजह से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि को गई है। 25 प्रतिशत से अधिक भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। फलस्वरूप, समावेशी वृद्धि केंद्र सरकार का राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्य बन गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में समावेशी वृद्धि की परिकल्पना एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में की गई है। योजना प्रलेख में यह नोट किया गया है कि विशेष रूप से 1990 के दशक के मध्य के बाद आर्थिक वृद्धि पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं रही। उच्चतर समावेशी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसने कृषि, बुनियादी ढाँचा, हेल्थकेयर और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, इस प्रकार, ग्यारहवीं योजना के प्रलेख में नीतियों के पुनर्विन्यास का प्रयास किया गया है ताकि समाज के विखंडन को कम करके वृद्धि को तीव्रतर, व्यापक आधार वाला और समावेशी बनाया जा सके। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भारी निवेश यथापरिकल्पित समावेशी वृद्धि की रणनीति के प्रमुख तत्व थे। मोटे तौर पर, नीतियों का उद्देश्य एक ओर आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है, दूसरी ओर, इसमें उन कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने का प्रयास किया जाता है जिनमें वृद्धि को अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है।

समावेशी वृद्धि : वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

5. आपूर्ति और मांग पक्ष के कारक समावेशी वृद्धि को संचालित कर रहे हैं। बैंक और अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं से मोटे तौर पर यह आशा की जाती है कि वे आपूर्ति पक्ष की उन प्रक्रियाओं को सरल बनाएं जो समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों को वित्तीय प्रणाली तक पहुँच प्राप्त करने से निवारित करती हैं। वित्तीय उत्पादों तक पहुँच में कई कारकों की वजह से व्यवधान पड़ता है, जिनमें शामिल हैं - वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता का अभाव, उपयोग न किए जा सकने वाले उत्पाद, उच्च लेनदेन लागत, तथा ऐसे उत्पाद जो सुविधाजनक नहीं हैं, जिनमें लचीलापन नहीं है, जो ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल नहीं हैं तथा जो खराब गुणवत्ता वाले हैं। वित्तीय समावेशन किफायत का संवर्धन

करता है, बचत की संस्कृति को विकसित करता है तथा दक्ष भुगतान प्रक्रिया का समर्थन करता है, वित्तीय संस्था के संसाधन आधार को सुदृढ़ करता है जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है क्योंकि संसाधन दक्ष भुगतान प्रणाली और आबंटन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वंचित बड़ी आबादी वाले देशों में भी गरीबी और असमानता अधिक मात्रा में होती है। यदि हम वित्तीय स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और स्थिरता के साथ समावेशी वृद्धि की बात करते हैं तो वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किए बिना यह संभव नहीं है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन आज नीतिगत चुनाव न होकर नीतिगत बाध्यता बन गया है। बैंकिंग समावेशी वृद्धि का मुख्य संचालक है तथापि, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपूर्ति पक्ष के कारकों के अलावा, मांग पक्ष के कारकों यथा न्यूनतर आय और / या आस्ति धारिता का भी समावेशी वृद्धि पर उल्लेखनीय असर पड़ता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुँच में होने वाली कठिनाई के कारण, गरीब व्यक्ति तथा छोटे एवं सूक्ष्म उद्यम वृद्धि के अवसरों का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और उद्यम संबंधी कार्यकलापों में निवेश के लिए सामान्यतया अपनी व्यक्तिगत बचतों या आंतरिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

इस बार अलग क्या है?

6. भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका की शुरुआत 1960 के दशक से होती है जब कर्ज का उपयोग अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों तथा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए करने पर फोकस किया गया। 1990 के दशक के आरंभ से वित्तीय क्षेत्र में सुधार के अंग के रूप में वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर फोकस किया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की गुणवत्ता को इस नजरिए से देखे जाने की जरूरत है कि स्थिरता के साथ वृद्धि प्राप्त करने में वित्त की क्या भूमिका हो सकती है, तथा वित्तीय समावेशन नीतिगत प्रक्रिया के उस महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करता है जिसका आशय वास्तविक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्तीय प्रणाली का उपयोग करना है। 1990 के दशक में देश में स्वयं सहायता समूह (एसएचपी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की शुरुआत हुई। घोषित नीतिगत उद्देश्य के रूप में वित्तीय समावेशन का अनुसरण करने का वर्तमान दौर 2005 में शुरू हुआ। अतः, यदि लंबे समय से वित्तीय समावेशन के प्रयास चल रहे थे और स्पष्ट रूप से हम सफल नहीं हुए, तो इस बार अलग क्या है तथा अब हम सार्वमौम वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पाने में इतने विश्वास के साथ क्यों बातें करने लगे हैं। उसके निम्नलिखित कारण हैं :

- समावेशी वृद्धि पर फोकस, जो आज के समय का मंत्र बन गया है;
- अब बैंक सुविधा से रहित व्यापक क्षेत्रों तक पहुँच के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा अपेक्षित कम खर्चीली सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;
- यह यकीन हो गया है कि 'गरीब जनता बैंक सुविधा के योग्य' है। एफएमसीजी कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां तथा अन्य खुदरा विक्रेता सभी वृद्धि के लिए अदोहित ग्रामीण बाजारों पर संकेंद्रित हैं। वित्तीय क्षेत्र की औपचारिक संस्थाओं ने भी यह मान लिया है कि व्यापक अदोहित वर्जित क्षेत्रों में वृद्धि के अवसर न सिर्फ कम लागत वाली जमा/निधि के लिए अपितु सूक्ष्म-कर्ज, सूक्ष्म बीमा, और सूक्ष्म-पेंशन आदि के लिए भी हैं।

7. मैं अपने भाषण के शेष हिस्से में भारत में वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के उद्देश्यों, अवरोधों और रणनीतियों पर ध्यान दूँगा। मैं आपके समक्ष वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों के वर्तमान दौर की एक झलक प्रस्तुत करूँगा, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कुछ पहल और

कुछ गलत तरीके से समझी गई परिभाषाएं शामिल हैं। मैं अपना भाषण कुछ लक्ष्यों की झाँकी दिखाकर समाप्त करूँगा जिन्हें भारतीय बैंकों द्वारा अगले तीन वर्ष में या ऐसी अवधि में प्राप्त किया जाना है।

परिभाषा : वित्तीय समावेशन

8. वित्तीय समावेशन के बारे में काफी लोगों में भ्रम बना हुआ है। अतः मैं इसे आपके लिए परिभाषित करना चाहूँगा। वित्तीय समावेशन मुख्य धारा की संस्थाओं द्वारा एक उचित और पारदर्शी तरीके से वहनीय लागत पर कमजोर वर्गों एवं कम आय वाले समूहों जैसे असुरक्षित समूहों की अपेक्षित उपयुक्त वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने यह घोषणा की है कि हमें मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं के जरिए, मोबाइल या कार्ड के माध्यम से, वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। हमने वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पाने के लिए मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं में भरोसा जताया है। परंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हम वित्तीय समावेशन के लिए आगे आने और इस अवसर का फायदा उठाने के लिए बैंकों के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं कर सकते अन्यथा हमें वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने के अन्य मॉडलों पर ध्यान देना होगा। परंतु, फिलहाल इन मुद्दों का समाधान कर दिया गया है।

उद्देश्य

9. वित्तीय समावेशन संबंधी हमारे प्रयासों का उद्देश्य क्या है? इसमें बैंकिंग सेवाओं को सभी के पास ले जाया जाता है ताकि आरंभ में उनकी बचत, कर्ज और विप्रेषण संबंधी सभी जरूरतों, तथा बाद में अन्य सभी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उसमें आरंभ में 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों पर फोकस किया जाता है परंतु बैंकों द्वारा अगले 3 से 5 वर्षों की अवधि में एक समन्वित तरीके से 2000 से कम आबादी वाले गांवों को कवर किए जाने की योजना है।

बाधाएं

10. हमारे देश में पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं सुविदित हैं। प्रमुख बाधाएं इस प्रकार हैं:

(i) वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों की संख्या को देखते हुए कार्य की विशाल प्रकृति।

- भारत में लगभग आधा देश बैंकसुविधा-रहित है।
- भारत में 6 लाख गांवों में से, लगभग केवल 50,000 गांवों में बैंक शाखाएं हैं।
- भारत में बैंकिंग से बाहर रखे गये परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा (145 मिलियन) है।
- आबादी के केवल 10 फीसदी के पास किसी प्रकार की जीवन बीमा है और 9.6 प्रतिशत लोगों के पास गैर जीवन बीमा का कवरेज है।

मैं शीघ्र ही यह जोड़ना चाहूंगा कि यह भारत विशेष की समस्या नहीं है अपितु वास्तव में यह एक वैश्विक समस्या है।

- 2.5 बिलियन वयस्क, जो दुनिया की वयस्क आबादी के आधे से अधिक है, बचाने या उधार लेने के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं।
- इन असेवित वयस्कों में से 2.2 बिलियन वयस्क अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमरीका और मध्य पूर्व में रहते हैं।
- अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने वाले 1.2 बिलियन वयस्कों में से कम-से-कम दो तिहाई, 800 मिलियन से थोड़े

अधिक, प्रति दिन 5 डालर से कम पर गुजारा करते हैं।

(स्रोत: 'हाफ दि वर्ल्ड इज अनबैंक्ड', 2009, वित्तीय अभिगम संबंधी पहल)

बहरहाल, चुने हुए उच्च आय वाले ओईसीडी के सदस्य देशों के लिए बेंचमार्क संकेतकों सहित भारत में वित्त तक अभिगम के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक यह प्रकट करते हैं कि जहां 2001-08 के दौरान सुधार हुआ है, वहीं ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह अभी भी बहुत प्रतिकूल है।

(ii) कुछ साल पहले तक उपयुक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता। देश के कुछ हिस्सों में उचित भौतिक बुनियादी सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी, आदि का अभाव। अगर वित्तीय समावेशन होना है, तो यह केवल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) आधारित मॉडलों के माध्यम से ही हो सकता है।

(iii) उचित बिजनेस मॉडल का अभाव। बैंकों को अब भी यह एक बोझ और एक आरोपण लगता है और वे इसे एक व्यवहार्य कारोबारी मॉडल के रूप में नहीं देखते हैं।

(iv) कम खर्चीले स्केलेबल सुपुर्दगी मॉडल का अभाव। कोई सुविधाजनक और प्रभावी सुपुर्दगी मॉडल नहीं है, खासकर जब समस्याओं का सामना कर रहे हों। कारोबारी संपर्की (बीसी)-आधारित सुपुर्दगी मॉडल अभी भी विकास की अवस्था में है।

(v) कम मूल्य के लेनदेनों और वित्तीय मध्यस्थता की प्रशासनिक लागत उच्चतर मानी गयी है।

(vi) योजनाबद्ध, रणनीतिक और ठोस प्रयास की कमी थी। सभी पणधारकों के स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रयास की आवश्यकता है।

रणनीति

11. योजनाबद्ध, निरंतर और संरचित वित्तीय समावेशन के लिए हमारी व्यापक रणनीति क्या है? यह सभी पहलुओं के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से हो सकता है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) हमने अगले तीन साल के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना तैयार करने की सलाह बैंकों को दी है। हमने एकसमान मॉडल लागू नहीं किया है ताकि प्रत्येक बैंक अपने कारोबारी मॉडल और तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के अनुरूप अपनी रणनीति बनाने में सक्षम हो सके।

(ii) एफआइपी को बैंकों की सामान्य व्यावसायिक योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। हमने ब्याज

सारणी 1: भारत के लिए वित्त संकेतक प्राप्त करना, 2001-08

संकेतक	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	बेंचमार्क (ओईसीडी)
प्रति 1,00,000 व्यक्ति पर शाखाएं	6.42	6.33	6.25	6.26	6.33	6.37	6.35	6.6	10-69
प्रति 1,00,000 व्यक्ति पर एटीएम					1.63	1.93	2.4	3.28	47-167
प्रति 1000 व्यक्ति पर जमा खाते	416.77	421	418.7	426.1	432.1	443.1	459.5	467.4	976-1671
प्रति 1000 व्यक्ति पर उधार खाते	50.99	53.9	55.84	61.88	71.42	78.0	83.59	89.03	248-513
प्रति 1000 वर्ग कि.मी. पर शाखाएं	22.18	22.3	22.41	22.57	22.99	23.5	24.13	25.49	1-159
प्रति 1000 वर्ग कि.मी. पर एटीएम					5.93	7.11	9.11	12.68	1-437

(स्रोत: *गेटिंग फाइनेंस इन साउथ एशिया 2010, किएट्चाइ सोफास्टिएनफोंग*, अनोमा कुलथुंगा, विश्व बैंक)

नोट: बेंचमार्क संकेतक रेंज चयनित उच्च आय के ओईसीडी के सदस्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणतंत्र, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका) के लिए हैं।

दरों को मुक्त किया है तथा बैंकों को अन्य लेनदेनों के लिए उनके ग्राहकों से ब्याज वसूलने की अनुमति दी है। हमें विश्वास है कि गरीब जनता के लिए बैंकिंग एक अर्थक्षम कारोबारी अवसर है परंतु बैंकों द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण किए जाने की जरूरत है ताकि वित्तीय समावेशन को उनके कारोबारी मॉडल के अनुरूप बनाया जा सके। बैंकों को एक अर्थक्षम कारोबारी मॉडल के रूप में वित्तीय समावेशन को देखना चाहिए।

(iii) बैंकों को एक बड़े कारोबारी अवसर के रूप में वित्तीय समावेशन पर विचार करना चाहिए तथा अपने सुपुर्दगी मॉडलों में पूर्णता लानी चाहिए। बीसी-आधारित सुपुर्दगी मॉडल को अधिक लचीला और समावेशक बना दिया गया है।

(iv) वित्तीय समावेशन संबंधी रणनीतियों के कारगर कार्यान्वयन के लिए, बैंकों को पहले उनकी सभी शाखाओं तथा उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को पूर्णतः लागू कर तथा फ्रंट-एंड डिवाइसों का बैक-एंड प्रणालियों के साथ सीवनहीन समन्वयन करके प्रौद्योगिकी संबंधी पहलू का समाधान करना चाहिए। इसके बिना कार्यकलापों में वृद्धि करना संभव नहीं होगा।

(v) वर्तमान समय में दिए जा रहे प्रॉडक्टों की सूची को बढ़ाने की जरूरत है। एफआइपी पर चर्चा करते समय बैंकों को सूचित किया गया है कि वे खातेदारों को कम-से-कम चार प्रॉडक्ट उपलब्ध कराएं , अर्थात

क. बचत-सह-ओवरड्राफ्ट खाता,

ख. शुद्ध बचत खाता, आदर्श रूप में एक आवर्ती अथवा परिवर्तनशील आवर्ती जमा खाता,

ग. एक विप्रेषण प्रॉडक्ट ताकि ईबीटी और अन्य विप्रेषण सुकर बनाया जा सके, और

घ. उद्यमिता कर्ज उत्पाद यथा सामान्य प्रयोजनवाले क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) अथवा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)।

इन न्यूनतम मूल प्रॉडक्टों के अलावा, बैंक अपने खातेदारों को बीमा, म्यूच्युअल फंड आदि जैसे अन्य प्रॉडक्ट भी उपलब्ध करा सकते हैं।

(vi) व्याप्ति संबंधी मुद्दे पर हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसी गांव को बैंकिंग सेवाओं द्वारा कवर किया गया उस स्थिति में माना जाएगा जब या तो वहां कोई बैंक शाखा मौजूद हो अथवा कोई बीसी उस गांव में दौरा करता हो/मौजूद हो। 2000 से अधिक आबादी तथा 2000 से कम आबादी वाले गांवों के बीच द्विभाजन होना चाहिए। इस योजना द्वारा दोनों श्रेणी के गांवों को एक समन्वित रूप में कवर करने की जरूरत है। किसी विशेष गांव को कवर करनेवाले बीसी/शाखा का नाम बैंक की वेबसाइट पर दर्शाये जाने की जरूरत है।

(vii) एक कार्यपरक दृष्टिकोण के माध्यम से शहरी और महानगरीय केंद्रों में वित्तीय समावेशन पर विशेष फोकस।

(viii) इस प्रक्रिया में सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, गैर सरकारी संगठन, प्रौद्योगिकी के विक्रेता, उद्योग संघ, बीमा और म्यूच्युअल फंड कंपनी तथा व्यापक समाज, इन सभी पणधारियों को शामिल किया जाए।

(ix) रिज़र्व बैंक द्वारा गुरुतर वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने के लिए सभी विनियामक अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मूल्यन को भी मुक्त कर दिया गया है।

वित्तीय समावेशन के बारे में कल्पना

12. अब मैं वित्तीय समावेशन के इर्दगिर्द मौजूद दो कल्पनाओं के बारे में चर्चा करूंगा तथा इनमें से पहली कल्पना यह है कि बैंक बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन के बारे में इच्छुक नहीं हैं। सच्चाई यह है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बिना वे चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। वित्तीय समावेशन के मार्ग में उनकी चाह नहीं बल्कि सुपुर्दगी की क्षमता का अभाव रोड़ा बनकर आ रहा है। दूसरी कल्पना यह है कि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने की लागत बहुत अधिक है। सच्चाई यह है कि बैंकों द्वारा आसानी से इस लागत का वहन किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की समग्र लागत प्रति वर्ष 3,000/4,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। केंद्र और राज्य सरकारें स्पष्ट तौर पर इसमें सहायता कर सकती हैं। इस प्रकार, लागत अथवा चाह नहीं, अपितु कारोबारी मॉडल तथा आइसीटी आधारित सुपुर्दगी मॉडल का अभाव ही मूल समस्या है।

एफआइपी से क्या संकेत मिलता है?

13. अंत में, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि धारणीय वित्तीय समावेशन का ढांचा बनाने के लिए शुरू किए गए उक्त उपाय संकल्पनात्मक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ हैं। तथापि, वास्तविक परीक्षा सफल निष्पादन और कार्यान्वयन की है। अगले ढाई सालों में किए जानेवाले कार्य की व्यापकता को समझने के लिए बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआइपी से संकलित आंकड़े आपकी जानकारी के लिए मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं।

- 2,00,000 के आसपास बीसी/सीएसपी (उपभोक्ता सेवा बिंदु) का नियोजन किया जाना है।
- बैंक सुविधा रहित गांवों में 4,000 से अधिक ग्रामीण ईंट-गारेवाली शाखाएं खोली जानी हैं।
- 10 करोड़ से अधिक नो फ्रिल्स खाते खोले जाने हैं।
- 3 करोड़ से अधिक केसीसी तथा लगभग 70 लाख जीसीसी जारी किए जाने हैं।

बैंकों को वस्तुतः इन योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार होना होगा। आंकड़े अच्छे प्रतीत होते हैं तथा यदि हम इन योजनाओं का सफल निष्पादन कर सकें तो भारत दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकता है।

निष्कर्ष

14. संक्षेप में, मैं यह बात दुहराना चाहूंगा कि स्थिरता के साथ समावेशी वृद्धि का वर्तमान नीतिगत उद्देश्य सार्वभौम वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किए बिना पूरा करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार वित्तीय समावेशन आज नीतिगत चुनाव मात्र न रहकर एक नीतिगत बाध्यता बन गया है। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य पूरा करने के लिए अभिकर्ता को जो भूमिका सौंपी गयी है, उसमें समावेशी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में मुख्य धारा के वित्तीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण बन गयी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पणधारियों के समंजित प्रयासों से वित्तीय समावेशन संबंधी हमारे योजनाबद्ध, अनवरत और संरचित प्रयास सफल होंगे तथा हम देश को न सिर्फ उच्चतर वृद्धि दर की ओर अपितु ऐसी वृद्धि की ओर ले जा सकेंगे जो समावेशी होगी तथा जिसके दायरे में सभी शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्तीय समावेशन का सपना साकार करने के लिए सभी पणधारियों को शामिल कर एक उपयुक्त कारोबारी सुपुर्दगी मॉडल की खोज करने एवं उसे स्थापित करने में केआइआइटी के छात्र और संकाय-सदस्य अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस सम्मेलन में इस दिशा में निश्चय ही कुछ नवोन्मेषी विचार सामने आएंगे। मुझे इस सम्मेलन का उद्घाटन करने में खुशी हो रही है तथा मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं!

चुनिंदा संदर्भः

1. चक्रवर्ती, डॉ. के.सी. (2009): ''बैंकिंग: समावेशी वृद्धि का मुख्य चालक'', अगस्त 2009 में चेन्नै में मिंट के 'बहस के माध्यम से स्पष्टता' श्रृंखला में दिया गया भाषण।

2. इआंचोविचिना, एलेना और लुंडस्ट्राम, सुसन्ना (2009), *इंक्लूजिव ग्रोथ एनालिटिक्स: फ्रेमवर्क एंड अप्लीकेशन*। विश्व बैंक।

3. भारत सरकार (2006): *बचत पर कार्यदल की रिपोर्ट, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना*, योजना आयोग, दिसम्बर।

4. भारत सरकार (2007), *ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज*, योजना आयोग।

5. भारत सरकार (2008), *वित्तीय समावेशन पर समिति* (अध्यक्ष: सी. रंगराजन)।

6. भारतीय रिजर्व बैंक (2008), *मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट*, 2006-08।